फार्म एफ–3

(नियम 3 (3))

राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

(क) राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन –

(क) राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन –

1. राज्य पुनर्गठन के पश्चात् राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर में लगातार बढ़ोतरी हुई है । राज्य द्वारा कृषि, सिंचाई एवं अधोसंरचना के क्षेत्र में अधिकतम पूंजी निवेश तथा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निजी निवेश के प्रयास किये जा रहे है । इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवाओं के विस्तार के कारण सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है । राज्य शासन की उक्त नीतियों के परिणाम स्वरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 2029–30 तक इसे दोगुणा करने का लक्ष्य है।

2. राज्य द्वारा किये गये कर संग्रहण प्रयासों के बेहतर परिणाम प्राप्त हुये हैं । आगामी वर्ष में इसे और बेहतर करने के लिए सूचना तकनीक के प्रयोग तथा कर अनुपालन को सरल बनाने के प्रयास किये जा रहे है ।

3. राज्य के करेतर राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु नये माईनिंग क्षेत्रों के ऑक्शन, भू–जल के दोहन को नियंत्रित करने हेतु भू–जल कर की दरों में वृद्धि के साथ–साथ वन संपदा के विवेकपूर्ण दोहन के प्रयास किये जा रहे है।

4. राज्य के गैर विकासोन्मुखी व्यय को गत वर्षो में सीमित रखा गया है । राजस्व मद में वेतन, पेंशन तथा ब्याज के अतिरिक्त अन्य मदों में वृद्धि परिलक्षित हुई है । राज्य द्वारा दी जा रही प्रमुख आर्थिक सहायता राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से है । इसके अतिरिक्त राज्य के सभी नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा सहायता दी जा रही है। किसानों को 5 एचपी तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय एवं आमजन को विद्युत देयक में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

5. नये ऋणों हेतु राज्य की ऋण संवनीहयता के आधार पर आंकलन तथा विवेकपूर्ण प्रबंधन से राज्य का ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात संवहनीय स्तर पर बनाये रखा है। राज्य शासन की गारंटी पर लिये गये ऋणों की पूर्व भुगतान के माध्यम से ऋण एवं ब्याज भुगतान में कमी की जा रही है।

6. राजकोषीय स्थायित्व तथा सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने तथा राजकोषीय अनुशासन में रहने के उद्देश्य से राज्य विधानसभा द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 पारित किया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राजकोषीय नीति –

7. वर्ष 2025–26 के बजट में राज्य द्वारा निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राजकोषीय नीति के अनुपालन का प्रयास किया गया है ।

(i) आर्थिक विकास को बनाये रखते हुये सामाजिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है ।

(ii) आगामी वर्ष में राजस्व आधिक्य रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 के लिये वित्तीय संकेतक राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005 में आगामी वर्षो के लिए निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्यों के अनुरूप होने का अनुमान है।

(iii) हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु e-KYC कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे पात्र हितग्राहियों को ही इनका लाभ मिलें।

(iv) राजस्व व्यय में वृद्धि को देखते हुए स्वयं के संसाधनों में वृद्धि के उपाय करना तथा पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण निर्धरित ऋण सीमा में किया जाना ।

8. कुछ राजकोषीय नीति के उपायों का विवरण नीचे दिया गया है -

<u>कर नीति</u> -

9. करों के युक्तियुक्तकरण, सरलीकरण तथा कर प्रशासन में सूचना तकनीक के अधिकतम उपयोग से पारदर्शिता लाकर राजस्व में गत वर्षो में अपेक्षा अनुरूप वृद्धि हुई है । इस नीति को आगामी वर्ष भी जारी रखा जावेगा ।

<u>व्यय नीति</u> -

10. राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में उपलब्ध सेवाओं का स्तर तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बाहुल्यता को देखते हुये वर्ष 2025-26 के बजट में भी सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है । यह प्रावधान मुख्यतः महतारी वंदन योजना, शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना, आंगनबाड़ियों के माध्यम से प्रदाय किये जाने वाले पोषाहार, उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, शासकीय चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नर्सिग, चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं उच्च शिक्षा महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, पॉलीटेक्निक, आई.टी.आई. एवं स्कूल भवनों का निर्माण, शालाओं का उन्नयन, आश्रम एवं छात्रावासों का निर्माण आदि में किया गया है।

11. राज्य का मात्र कुछ हिस्सा नक्सल प्रभावित है, जिसे मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य है। इसके उन्मूलन हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये हैं । गृह विभाग के बजट में कुल रूपये 8,380 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

12. अधोसंरचना विकास के लिये शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तथा पुलों का निर्माण, रिंग रोड़, बायपास निर्माण, सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण तथा समग्र अधोसंरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण किसानों को धान का मूल्य 3,100 रूपये प्रति क्विंटल प्रदाय करने, नवीन कृषि व्यवसाय प्रबंधन एवं उद्यानिकी महाविद्यालय तथा कृषि यंत्रों तथा खाद, बीज, बिजली आदि की पर्याप्त उपलब्धता हेतु भी आवश्यक प्रावधान किये गये हैं ।

<u>उधारियां और अन्य देयतायें, उधार देना और निवेश</u> -

13. राज्य की ऋण सीमा तथा राजकोषीय घाटे के अनुमान के आधार पर वर्ष 2025-26 हेतु ऋण का आंकलन किया गया है । वर्ष 2025-26 हेतु ऋणों के भुगतान पर राशि रूपये 11,337.17 करोड़ का व्यय अनुमानित है ।

14. राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले संस्थागत ऋण मुख्यत: अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु हैं तथा शेष लोक ऋण, पूंजीगत कार्यो हेतु हैं । संस्थागत ऋणों की औसत परिपक्वता 7-8 वर्षो की, बाजार उधारों की 10 वर्षो तथा एन.एस.एस. एफ. की 25 वर्षो के लिये है। EAP ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की है।

15. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण सहायता उपलब्ध करवायी जाती है । वर्ष 2025-26 में सहकारी संस्थाओं, समितियों, निगमों आदि के लिये 463 करोड़ व्यय का प्रावधान है । विभिन्न उपक्रमों, बोर्ड, निगमों में राशि 214.18 करोड़ का निवेश किया जाना है । यह निवेश इन संस्थाओं की पूंजी आधार में वृद्धि करता है।

<u>संचित शोधन निधि</u> -

16. राज्य द्वारा बाजार उधारों की परिपक्वता की भविष्य की देयताओं को पूर्ण करने के लिये वर्ष 2001-02 में संचित शोधन निधि का गठन किया गया है । इसमें फरवरी, 2025 तक रूपये 4,581 करोड़ की राशि धनवेष्ठित की गयी है, जो अर्जित ब्याज सहित फरवरी 2025 तक 8,265 करोड़ हो गई है । वर्ष 2025-26 हेतु इस निधि में राशि रूपये 100 करोड़ का धनवेष्ठन किये जाने का प्रावधान है ।

<u>गारंटी मोचन निधि</u> -

17. राज्य में गारण्टी मोचन निधि का गठन 2022-23 में किया गया है, जिसमें अभी तक 500 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 हेतु इस निधि में राशि रूपये 500 करोड़ का धनवेष्ठन किये जाने का प्रावधान है । राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों पर प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत गारण्टी फीस लेने का प्रावधान है ।

<u>उपभोक्ता प्रभारों पर शुल्क</u> -

19. सार्वजनिक सेवाओं के उपभोक्ता प्रभारों के शुल्क में वर्ष 2025-26 हेतु कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

(ग) **<u>आगामी वर्ष के लिये कार्ययोजनागत प्राथमिकतायें</u>** -

1. बकाया करों के जमा को प्रोत्साहन, करों के अपवंचन की प्रवृत्ति में कमी तथा कर की दरों में सरलीकरण एवं अनुपालन को सुगम बनाकर और अधिक राजस्व संग्रहण हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे ।

2. व्यय प्रबंधन में गैर विकासोन्मुखी व्यय की वृद्धि पर नियंत्रण, स्थापना व्यय को सीमित तथा राज्य की विकासोन्मुखी योजनाओं को सूचना तकनीक के उपयोग से युक्तियुक्तकरण का प्रयास किया जावेगा ।

(घ) **<u>नीतिगत परिवर्तनों के लिये औचित्य</u>** -

1. करों से संबंधित नीतिगत परिवर्तनों के औचित्य - राज्य शासन की इस नीति से गत वर्षो में राज्य के कर संग्रहण में वृद्धि हुई है। आगामी वर्ष में राजस्व के लक्ष्य को हासिल करने के विशेष प्रयास उद्देश्यों के अनुरूप है ।

2. आर्थिक सहायता का बेहतर लक्ष्यीकरण कर युक्तियुक्तकरण तथा जरूरतमंद तक इसको सीमित करने के साथ इसका दुरूपयोग रोकना लक्ष्य है । गैर उत्पादक व्यय में कमी, स्थापना व्यय को सीमित रखने का प्रयास किया जायेगा।

3. लोक ऋण की संवहनीयता के आधार पर लोक ऋणों का उपयोग सुनिश्चित करना राज्य की राजकोषीय नीति के अनुरूप ही है ।

4. सार्वजनिक उपयोगिता के लिये किसी प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

(ड.) **<u>नीतिगत मूल्यांकन</u>** -

1. राज्य सरकार के कर राजस्व तथा सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्षो में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा आगामी वर्ष का अनुमान वास्तविक आधार पर निर्धारित है ।

2. कर की दरों में युक्तियुक्तकरण, बेहतर कर प्रशासन तथा सरलीकरण कर नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत है । राज्य सरकार द्वारा इन नीतियों को अमल में लाने के सभी प्रयास किये जायेगें ।

3. बजट में अंतर्निहित राजकोषीय नीति में सबसे महत्वपूर्ण व्यापक कर सुधार तथा करेतर राजस्व में बढ़ोत्तरी करते हुए राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में कमी लाना है । गत वर्षो में कर सुधारों के प्रयास में मिली सफलता से यह संकेत मिलता है कि राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ होगी ।

फार्म डी-1

(देखें नियम-4)

चुनिंदा राजकोषीय संकेतक

मद	पिछला वर्ष 2022-23 (वास्तविक)	पिछला वर्ष 2023-24	चालू वर्ष 2023-24 (संशोधित अनुमान)
1. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा	4.60	2.90	4.08
2. सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	41.69	-5.38	24.55
3. जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	2.19	-0.21	1.27
4. टीआरआर के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा	10.85	-0.84	5.95
5. कुल देयताएं- जीएसडीपी अनुपात (%)	26.20	25.43	28.94
6. कुल देयताएं- कुल राजस्व प्राप्तियां (%)	129.63	130.53	135.60
7. कुल देयताएं- राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%)	248.78	196.17	257.99
8. राजस्व व्यय के प्रति राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%)	47.01	54.79	49.61
9. सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय	57.22	113.22	78.34
10. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	6.57	6.30	7.44
11. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन व्यय	26.40	27.76	25.44
12. राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में पेंशन व्यय	8.80	6.15	6.38
13. कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में विकासेतर व्यय	20.79	20.23	19.95
14. कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में केन्द्र से सकल अंतरण	38.00	39.00	37.90
15. टीआरआर के प्रतिशत के रूप में करेतर राजस्व	25.35	25.58	25.58